

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार, प्रा0प्र0से0
अपर सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सुपौल/नालंदा/बाँका/कैमूर/मुजफ्फरपुर।

पटना 15, दिनांक-

विशय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष -02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघुशीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष -0010-वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान विपत्र कोड-39-2245021010010 में ₹14.50 लाख (चौदह लाख पचास हजार रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष- 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघु शीर्ष- 101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0010- वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. आवंटित/ पूर्व आवंटित राशि का जिलावार विवरणी लघुशीर्ष/ उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष-101 आनुग्रहिक राहत।

माँग संख्या-39

उपशीर्ष-0010-वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान।

विस्तृत शीर्ष- 37 -अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष-01-अनुग्रह अनुदान

क्र.	जिला	पूर्व आवंटन (रु० लाख में)	वर्तमान आवंटन (रु० लाख में)	योग (रु० लाख में)
1.	2.	3.	4.	5.
1	सुपौल	3.00 (तीन लाख)	1.50 (एक लाख पचास हजार)	4.50 (चार लाख पचास हजार)
2	नालंदा	4.00 (चार लाख)	1.00 (एक लाख)	5.00 (पाँच लाख)
3	बाँका	11.50 (ग्यारह लाख पचास हजार)	3.00 (तीन लाख)	14.50 (चौदह लाख पचास हजार)
4	कैमूर	1.50 (एक लाख पचास हजार)	4.50 (चार लाख पचास हजार)	6.00 (छः लाख)
5	मुजफ्फरपुर	0.00 (शून्य)	4.50 (चार लाख पचास हजार)	4.50 (चार लाख पचास हजार)
कुल योग		20.00 (बीस लाख)	14.50 (चौदह लाख पचास हजार)	34.50 (चौतीस लाख पचास हजार)

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 16-2 दिनांक 04.01.17/ नालंदा के पत्रांक 1254 दिनांक 20.12.17/ बाँका के पत्रांक 282 दिनांक 22.11.17/ कैमूर के पत्रांक 632 दिनांक 27.11.17/ मुजफ्फरपुर के पत्रांक 78 दिनांक 13.01.18 द्वारा की गई अध्याचना, उपलब्ध बजट उपबंध एवं विभागीय संकल्प संख्या-2203/आ0प्र0 दिनांक 11.07.2012 के आलोक में दिनांक 01.04.2009 के बाद घटित वज्रपात की घटनाओं में मृत व्यक्तियों हेतु निर्गत किया जा रहा है।

5. संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त वज्रपात से मृत व्यक्ति के आश्रितों को प्राकृतिक आपदा में मृत व्यक्ति के आश्रितों को देय राशि के समतुल्य राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रितों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फौक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक -...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना)-सह-प्रभारी सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपतकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/18
अपर सचिव